न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

7

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का .... बनाम ....

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA|53|2019 निर्णय दिनाँक :- 26|2|19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेरलीरेल की आ.ख.न. 1246 कुल रकबा 0.83 किस्म जमीन गैरमुमकिन रास्ता में से 1500 वर्गफुट रकबे पर श्री हरिराम|रामसहायमीणा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर आवासीयमकान बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरलीरेल द्वारा दिनाँक 16|8|18 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी हरिराम|रामसहाय जाति मीणा निवासी खे गाहलावता को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी हरिराम .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1246 रकबा 0-83 में से 1500 वर्गफुट रकबे किस्म गैरमुमकिनरास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 10 Paise का 50 गुणा 5/- Rupee रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गाँवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरलीरेल भू.अ.निरी. खेरलीरेल .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ह.